



नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-6-18	<p><b>धाय</b> आपक रूप अभियान - 2018</p> <p>पत्रालयी कैम्प कोर्ट - देहाटू में प्रेषित किया          पिपलाना अंततः जाल जो शा. निवा. वि. म. ग. ला.          वरिष्ठ व अतिरिक्त के रूप में 1 व 2 लक्ष 24 अक्षर          पिपलाना अंततः के अंतर्गत जाहिए की। अंततः          डिप्टी जारी हो पत्रालयी कैम्प शुभान होकर          नम्बर के रूप हो न दाखिल कराना हो।</p> <p>— hi —          पाठासन अधिकारी          लोक अदालत / कैम्प कोर्ट</p>	 श्री. दे. दे. दे. श्री. ल. लाल  श्री. अ. अ. अ.



न्याय आपके द्वार 2018  
कैम्प कोर्ट :- देराठू  
डिक्री व मुकदमें इत्यादि  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


श्रवण बनाम मोहन

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 84/2013  
पेश करने की दिनांक - 6.5.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई प्रतिवादी व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.16, 1720 रकबा 0.10, 2093/1 रकबा 0.04, 2301 रकबा 0.35 की आराजी का खातेदार श्रवण पुत्र देवा को व खसरा नम्बर 2344 रकबा 0.20, 2093 रकबा 0.10 का खातेदार मोहन पुत्र ज्वारा को खसरा नम्बर 2301/1 रकबा 0.35 का खातेदार नौसर पत्नी किशन को, ख०न० 2344/1 रकबा 0.01 का खातेदार श्रवण/देवा व मोहन/ज्वारा को ख.न. 2301/2 रकबा 0.04 का खातेदार श्रवण/देवा व नौसर/किशन को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बुधवार दस्तखत व मोहर अदालत के आज 25 माह जून सन् 2018 को जारी की गयी।




मुकदम  
स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प बजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद